भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- *269

गुरुवार, 19 दिसम्बर, 2024/28 अग्रहायण, 1946 (शक)

राष्ट्रीय शहरी युवक रोजगार कार्यक्रम

***269 श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दर्ज किए गए बेरोजगार व्यक्तियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में, रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोई राष्ट्रीय शहरी युवक रोजगार कार्यक्रम लागू किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होने के क्या कारण हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितनी नौकरियां सृजित की गई हैं;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र को रोजगार के अवसरों के सृजन में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करके रोजगार सृजित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इस दृष्टिकोण को नहीं अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ मनसुख मंडाविया)

(क) से (च): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*

"राष्ट्रीय शहरी युवक रोजगार कार्यक्रम" के संबंध में श्री जी.सी. चन्द्रशेखर द्वारा दिनांक 19-12-2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *269 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (च): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2021-22 के दौरान 4.1% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। विस्तृत वर्ष-वार, राज्य-वार जानकारी पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध है जिसे एमओएसपीआई की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/download-reports?main_cat=ODU5&cat=All&sub_category=All पर देखा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नवीनतम केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) के आंकड़ों के अनुसार, देश में आर्थिक गतिविधियों में रोजगार वर्ष 2021-22 में 57.75 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। इसके अलावा, सितंबर 2017 और सितंबर 2024 के बीच 7 करोड़ से अधिक अभिदाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हो गए हैं, जो रोजगार बाजार के औपचारिकीकरण में वृद्धि को दर्शाते हैं। साथ ही, वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान 3.92 करोड़ से अधिक अभिदाता ईपीएफओ में शामिल हुए हैं।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय आदि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं सहति शेष सभी के लिए विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। इन रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

विधायी सुधारों के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं में सम्मिलित किया गया है। सभी संहिताओं अर्थात मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 को संसद द्वारा पारित और अधिसूचित किया गया है। इन संहिताओं का उद्देश्य प्रत्येक कामगार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन को उत्प्रेरित करना; अन्य बातों के साथ-साथ सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालनात्मक संबंधी बोझ को घटाने से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना; कारखाना लाइसेंस; अनुबंध श्रम लाइसेंस के लिए स्तर ऊंचा करना ; छंटनी, कामबंदी और कलोजर के लिए पूर्व अनुमति तथा स्थायी आदेशों के प्रमाणन आदि प्रदान करना है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। इसमें बजट 2024-25 में 1,07,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ घोषित की गई रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना शामिल है जिसका उद्देश्य ईपीएफओ के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके रोजगार सृजन और कार्यबल को औपचारिक रूप प्रदान करना, नियोजनीयता में वृद्धि करना तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।

*****